पत्र संख्या–न्याय/2020–21/ 938 /वाणिज्य कर

प्रेषक,

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–1 (उ0न्या0कार्य),
वाणिज्य कर, प्रयागराज।
एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–2 (उ0न्या0कार्य),
वाणिज्य कर, लखनऊ।
ज्वाइण्ट कमिश्नर (सर्वो0न्या0कार्य),
वाणिज्य कर, गाजियाबाद।

(वाद अनुभाग) **लखनऊ :: दिनांक :: 25 फरवरी, 2021**

महोदय,

कृपया एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–1 (उ0न्या0कार्य), वाणिज्य कर, प्रयागराज के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–701 दिनांक 14.10.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यह अवगत कराया गया था कि दिनांक 14.10.2020 को आयोजित बैठक में मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा इस बात पर बल दिया गया था कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में व्यापारियों द्वारा दाखिल रिट याचिकाओं पर सुनवाई के पूर्व विभाग का इन्स्ट्रक्शन स्थायी अधिवक्ता को उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि पहली सुनवाई के समय ही विभाग का पक्ष प्रस्तुत करने में कोई कठिनाई न हो और त्वरित गति से मामले का निस्तारण कराया जा सके। यह भी प्रस्ताव रखा गया कि रिट की प्रति विभाग को सामान्यतः सुनवाई की तिथि से 3 दिन पूर्व प्राप्त हो जाती है, अतः रिट की प्रति प्राप्त होते ही उच्च न्यायालय कार्य में तैनात अधिकारियों द्वारा तत्काल रिट संख्या/वादी/प्रतिवादी का विवरण और याचिकाकर्ता के प्रेयर की सॉफ्ट प्रति विभाग/सम्बन्धित अधिकारी को ई–मेल/वाट्स अप के माध्यम से प्रेषित करते हुए तत्काल इन्स्ट्रक्शन मंगाया जाए और सुनवाई के पूर्व स्थायी अधिवक्ता को उपलब्ध कर दिया जाये।

प्रकरण पर विचार किया गया तथा इस सन्दर्भ में वांछित कार्यवाही हेतु एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–1 (उ0न्या0कार्य), वाणिज्य कर, प्रयागराज के पुनः प्रेषित पत्र संख्या–959 दिनांक 26.11.2020 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर भी विचार किया गया। सम्यक विचारोपरान्त यह पाया गया कि प्रश्नगत सूचनाओं के तत्कालिक आदान–प्रदान हेतु विभागीय प्रणाली में प्रयोग किया जा रहा इन्फॉरमेशन शेयरिंग सिस्टम मॉड्यूल प्रभावी साबित हो सकता है। इस सन्दर्भ में आई0टी0 अनुभाग द्वारा एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–1 (उ0न्या0कार्य), वाणिज्य कर, प्रयागराज, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–2 (उ0न्या0कार्य), वाणिज्य कर, लखनऊ एवं ज्वाइण्ट कमिश्नर (सर्वो0न्या0कार्य), वाणिज्य कर, गाजियाबाद की आई0डी0 भी बना दी गयी है। उक्त सिस्टम पर सभी एडीशनल कमिश्नर तथा मुख्यालय उपलब्ध हैं।

अतः निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय से सम्बन्धित सूचनाओं के तत्कालीन प्रेषण हेतु उक्त सिस्टम का प्रभावी प्रयोग किया जाये। उच्च न्यायालय कार्य के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रपत्र/सूचना अपलोड किये जाने पर सम्बन्धित जोन के एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–1 सिस्टम के माध्यम से ही उन्हें तत्काल उत्तर प्रेषित कर सकते हैं। यह प्रक्रिया शीघ्रता हेतु बनाई गयी है। अतः इसके

अतिरिक्त पूर्व से प्रचलित न्यायिक कार्य से सम्बन्धित प्रक्रिया का अनुपालन भी पूर्ववत किया जाता रहेगा। यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(सुनील कुमार राय)
एडीशनल कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

<u>पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) समस्त एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–1, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(2) एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–2 (आई0टी0), वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।

ज्वाइण्ट कमिश्नर (वाद), वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।